न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 102 / 2021

रंजीतसिंह एडवोकेट तहसील कोर्ट कम्पाउण्ड तहसील छाता जिला मथुरा उत्तर प्रदेश।

बनाम

तहसीलदार, भरतपुर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 23.12.2021**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रंजीतसिंह एडवोकेट तहसील कोर्ट कम्पाउण्ड तहसील छाता जिला मथुरा उत्तर प्रदेश ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 06.10.2021 से तहसीलदार भरतपुर से सूचना चाही गई थी। तहसीलदार भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 773 दिनांक 09.12.2021 के द्वारा तहसीलदार भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध तहसीलदार भरतपुर से पत्र कमांक / राजस्व / 21 / 90 दिनांक 16.12.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई बिन्दुओं की सूचनाऐं तहसीलदार भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने तहसीलदार भरतपुर से सूचनांऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक 90 दिनांक 16.12.2021 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भरतपुर ने अपने जबाब पेश करते हुये अपीलार्थी की सूचना प्राप्त करने की प्राप्ती रसीद की प्रति भी भिजवाई गई है। इससे जाहिर होता है कि रेस्पो. ने अपीलांट को वांछित सूचनाऐं उपलब्ध करा दी हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को भी भेजी जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर